

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 13 जून, 2022

अंतरराष्ट्रीय ऐल्बनिज़िम जागरूकता दविस

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतविर्ष 13 जून को 'अंतरराष्ट्रीय ऐल्बनिज़िम जागरूकता दविस' का आयोजन किया जाता है। इस दविस का उद्देश्य ऐल्बनिज़िम अथवा रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा रंगहीनता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर, 2014 को ऐल्बनिज़िम से पीड़ित लोगों के साथ वशिव में होने वाले भेदभाव के वरिद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतविर्ष 13 जून को अंतरराष्ट्रीय ऐल्बनिज़िम जागरूकता दविस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ऐल्बनिज़िम जन्म के समय से ही मौजूद एक दुर्लभ और आनुवंशिक रूप से वकिसति रोग होता है। यह एक प्रकार का गैर-संक्रामक रोग भी है। यह मानव शरीर में मेलेननि (Melanin) के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव में त्वचा, बाल एवं आँखों में रंजक या रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चहिनति किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है। ऐल्बनिज़िम से पीड़ित लगभग सभी लोग दृष्टविधिति होते हैं और उनमें त्वचा कैंसर होने का अधिक खतरा होता है। भारत में वर्तमान में ऐल्बनिज़िम से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 1,00,000 है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वतिरण मूल्यांकन-2021 रपिर्ट

हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वतिरण मूल्यांकन-2021 रपिर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रपिर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन करके तैयार की गई है। रपिर्ट में नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएँ देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावकारिता पर वशिष बल दिया गया है। कार्मिक, लोक शकियात और पेंशन मंत्रालय के अनुसार रपिर्ट में सरकारों को अपनी ई-गवर्नेंस सेवा वतिरण प्रणाली में सुधार के लिये सुझाव भी दिये गए हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वतिरण मूल्यांकन-2021 में सात क्शेत्रों से जुड़ी सेवाएँ शामिल हैं। इनमें वतित, श्रम और रोज़गार, शकिया, स्थानीय शासन तथा उपयोगिता सेवाएँ, समाज कल्याण, पर्यावरण एवं पर्यटन क्शेत्र शामिल हैं। ई-गवर्नेंस को सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के रूप में परभाषित किया जा सकता है जिससे सरकारी सेवाओं, सूचनाओं का आदान-प्रदान और वभिन्न सर्टिडअलोन ससि्टम तथा सेवाओं का एकीकरण किया जा सके। ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों और व्यवसायों को सुवधिजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

रूस दविस

वर्ष 1991 में 12 जून को ही रूसी संघ की संप्रभुता की घोषणा को स्वीकार किया गया था। इस दिन को रूस दविस के रूप में भी जाना जाता है। 12 जून, 1990 को सोवियत संघ के नेताओं ने रूस संघ की संप्रभुता की घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे। 12 जून के इस अवकाश को अधिक देशभक्तपूरण भावनाओं को बढ़ावा देने के लिये, रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येलत्सिन ने वर्ष 1997 में इसका नाम बदलकर रूस दविस करने का सुझाव दिया (अवकाश का मूल नाम राज्य संप्रभुता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने का दिन था)। यह नामकरण वर्ष 2002 में हुआ जब रूसी संसद ने रूस के श्रम संहिता के एक नए संस्करण को अपनाया, यह रूस में लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत का प्रतीक तथा सोवियत संघ के आधिकारिक वधिटन की दिशा में पहला कदम था। इस दिन रूसी लोग देश भर के कई शहरों में होने वाले संगीत समारोहों और आतशिबाजी में शामिल होते हैं। प्रमुख रूसी लेखकों, वैज्ञानिकों और मानवीय कार्यकर्त्ताओं को इस दिन रूस के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 12 जून को अधिकांश सार्वजनिक कार्यालय और स्कूल बंद रहते हैं।